न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्रीमान घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 125/2014

सायल :- बनाम गैरसायलान :-

1. भैरुसिंह पुत्र जोगसिंह
जाति-राजपूत आयु 65 वर्ष
निवासी-कुडकी, तहसील-जैतारण
जिला-पाली (राज0)

अनाडसिंह वल्द जोगसिंह
के कायम मुकाम :-
1. नारायणसिंह पुत्र अनाडसिंह
2. लक्ष्मणसिंह पुत्र अनाडसिंह
3. किशनसिंह पुत्र अनाडसिंह
4. जगन्नाथकंवर पत्नी अनाडसिंह
जातियान-राजपूत, निवासी-कुडकी
तहसील-जैतारण जिला-पाली
5. तहसीलदार एवं उप पंजीयन
अधिकारी, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:.15.07.2014

उपस्थितः- 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, सायल।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 08/07/2015

वकील मय सायला ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-कुड़की, पटवार क्षेत्र-कुडकी, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 754, 755 कुल 2 कुल रकबा 47-15 बीघा किस्म गै0मु0बेरा एवं बा0अ0 लगान 23.81 से फौतदेगी म्यूटेशन सं. 1029 के जरिए उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं, जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। सायल भैरूसिंह का 1/2वां हिस्सा की भूमि पर रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। गैरसायलान सं. 1 से 4 तक 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज खातेदार काश्तकार हैं। उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी खतौनी मय नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं, जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। उक्त कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित कृषि भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा। सायल भेरुसिंह व गैरसायल सं. 1 से 4 के पिता व पति अनाडसिंह दोनो सगे भाई थें व विवादित भूमि में गैरसायलान के पिता व पति अनाडसिंह वल्द जोगसिंह राजपूत 1/2 हिस्से की भूमि पर रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार थे व 1/2 हिस्से की भूमि के सायल भेरुसिंह रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं, इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी खतौनी संवत 2024-2027, जमांबदी खतौनी संवत 2036-2039, जमाबंदी खतौनी संवत 2041-2044, जमाबंदी खतौनी संवत 2049-2052 जमाबंदी खतौनी संवत

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

2053–2056 में इन्द्राज हैं। उक्त जमाबंदी खतौनी की प्रमाणित प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। तत्पश्चात अनाडसिंह वल्द जोगसिंह राजपूत के देहान्त होने पर जरिये फौतदगी म्यूटेशन गैरसायलान सं0 एक से चार का नाम जमाबंदी खतौनी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। मगर हल्का पटवारी-कुडकी ने स्व. अनाडसिंह के फौतदगी म्यूटेशन में 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार गैरसायलान सं0 एक से चार व 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार सायल भैरुसिंह होने का इन्द्राज नहीं किया गया, जमाबंदी खतौनी संवत 2056–2060, जमाबंदी खतौनी 2061–2064, जमाबंदी खतौनी संवत 2065–2068 व जमाबंदी खतौनी संवत 2069–72 में विवादित भूमि सायल व गैरसायल सं. 1 से 4 का हिस्सा इन्द्राज नहीं होने के कारण गैरसायलान सं. एक से चार की नियत खराब हो गयी व राजस्व रेकर्ड में हिस्से का इन्द्राज नहीं होने से सायल का 1/5 हिस्सा मानकर किसी अन्य को बैचान, खुर्दबुर्द ,रहन रखने पर आमादा हैं। जबकि उक्त विवादित भूमि पर सायल भैरुसिंह 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है व सायल की भूमि मौके अलग बंटी हुई हैं व राजस्व रेकर्ड मे सायल का 1/2 हिस्से का इन्द्राज नहीं होने से गैरसायलान उसका नाजायज फायदा उठाने पर आमादा हैं। इसलिए सायल भैरुसिंह विवादित भूमि में 1/2 हिस्से का इन्द्राज दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र घोषणा खिलाफ गैरसायलान के पेश किया हैं। विवादित आराजी में गैरसायल सं. 1 से 4 का हिस्सा इन्द्राज नहीं होने से रोंग एन्ट्री का फायदा उठाकर विवादित भूमि को किसी अजनबी व्यक्तियों को बैचान करने, खुर्दबुर्द करने, रहन रखने व किसी प्रकार से मुन्तकिल करने पर आमादा है जबकि गैरसायल सं. 1 से 4 ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। यदि गैरसायल सं. 1 से 4 को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। यदि गैरसायल सं0 1 से 4 द्वारा ऐसा किया गया, तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी, सायल गैरसायल को ऐसा हरगीज नहीं करने देगा, ऐसा होने पर मौके पर टण्टा फसाद होगा, सायल को गैरसायल के विरुद्ध बार बार दिवानी फौजदारी मुकदमें करने पडेगे, जिससे विविध मुकदमेबाजी होगी तथा मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, व सायल को होने वाली क्षति का मूल्यांकन रुपयों पैसो में नहीं किया जा सकता हैं। इसलिए सायल गैरसायल के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के पेश किया हैं। उक्त तथ्यों व परिस्थितियों व रेकर्ड व मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर सायल के पक्ष में प्रथम दृष्टियां मामला बखूबी साबित है तथा राजस्व रेकर्ड में गैरसायल के हिस्से के इन्द्राज नहीं होने से अपने हिस्से से ज्यादा भूमि को बैचान, रहन व मुन्तकिल करने पर आमादा हैं। ऐसा होने से अपूरणीय क्षति भी सायल को होने की पूर्ण संभावना है तथा सुविधा का संतुलन भी गैरसायल के पक्ष में नही होकर सायल के पक्ष में साबित हैं। इसलिए सायल गैरसायल के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के विरुद्ध पेश किया हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–कुड़की में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। गै0सा0 1, 4, 5 बावजूद सूचना / तामिली के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय

उपखण्ड अधि...
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कार्यवाही की गई। गै0सा0 संख्या 2 व 3 के जबाब मूल वाद में पेश कर दिये गये। फलस्वरूप पत्रावली बहस पर रखी गई। बहस नहीं करने से इस अवसर बन्द किया जाता हैं। गै0सा0 के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15/07/14 को जारी की गई हैं। विक्रय, रहन, अन्य हस्तान्तरण आदि करने से गै0सा0 को पाबन्द किया गया था।

–:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा–कुड़की, पटवार क्षेत्र–कुडकी, तहसील–जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 754, 755 कुल 2 कुल रकबा 47–15 बीघा किस्म गै0मु0बेरा एवं बा0अ0 की भूमि के विक्रय, रहन, अन्य हस्तान्तरण आदि करने से गै0सा0 को पाबन्द किया गया था। न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 15/07/2014 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 08/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–कुड़की पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner